A4

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 47 / 2021

अमरचन्द पुत्र श्री रामनाथ जाति जाट, निवासी बजावा सुरोका, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
– – अपीलान्ट

बनाम

1. हवासिंह पुत्र श्री चुन्नाराम, जाति जाट, निवासी बजावा सुरोका, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. दयानन्द पुत्र श्री चुन्नाराम, जाति जाट, निवासी बजावा सुरोका, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
3. चन्दगी पुत्र श्री चुन्नाराम, जाति जाट, निवासी बजावा सुरोका, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
4. सुलतान पुत्र श्री चुन्नाराम, जाति जाट, निवासी बजावा सुरोका, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

– – रेस्पोडेन्ट

——

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर0टी0 एक्ट 1955 अपील खिलाफ निर्णय बअदालत तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी हवासिंह बनाम दयानन्द वगैरह अ0धा0 251 आर0टी0एक्ट 1955, मु0 नं0 8 / 2017 आदेश दिनांक 30.06.2020

——

उपस्थित :–

1. मो0 रफीक, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राजेश पूनिया, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 13.12.2021

उक्त विषयक अपील मय प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के तहसीलदार चिडावा के आदेश दिनांक 30.06.2020 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलान्टस की ओर से अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नही की है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने से वंचित रखा है। अदालत मातहत ने विधिक प्रकिया का दुरूपयोग कर निर्णय जैर बहस पर निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट अमरचन्द को कभी कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण में रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश हुई जिसमे खसरा नं0 721 व 722 में रास्ता A से Bडोटेड ग्राम बजावा सुरोका को जाना बताया जाकर मौके पर रास्ता प्रचलन में होने व चालू होना बताया गया है। पटवारी हल्का रिपोर्ट

A-5

में भी उक्त खसरा नं0 721 व 722 से एक रास्ता C – Dक्रोस करना बताया गया है जो मौके पर चालू नही होने की रिपोर्ट पेश हुई है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रकरण में पेश हुई है उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (प्रार्थी) के खेत में आने–जाने का रास्ता खसरा नं. 748 के दक्षिण में ग्राम बजावा सुरोका में जाना बताया गया है जिसका नक्शे मेG – Hसे दर्शाया गया है तथा उक्त रास्ते से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (प्रार्थी) का आवागमन होना बताया गया है तथा उक्त पटवारी हल्का रिपोर्ट में भी उपरोक्त सभी रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते नही होने व डोटेड दर्ज होने की रिपोर्ट पेश हुई है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 (प्रार्थी) के आने–जाने का रास्ता मौजूद होने के बावजूद गलत रूप से आदेश जैर बहस पारित कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है। अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण का धारा 251 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत दर्ज करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को देखने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में धारा 251 आर0टी0एक्ट 1955 के प्रावधान लागू नही होते। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हवासिंह का तथाकथित रास्ते में व्यक्तिगत सुखाधिकार नही है। वैकल्पिक रास्ता होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होता है विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सार्वजनिक रास्ते के लिए धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 में कोई प्रावधान नही है तथा यह भी स्पष्ट है कि सुविधा के लिए नया रास्ता देने का कोई प्रावधान नही है। इस प्रकार अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया को नजरअंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। सार्वजनिक रास्ता को चालू करवाने का क्षेत्राधिकार धारा 251 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत तहसीलदार को नही होता है। तहसीलदार को प्रचलित रास्ते व कटानी रास्ते व रास्ते के सुखाधिकार के तहत रास्ता खुलवाया जाने का क्षेत्राधिकार है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलाधीन आदेश के तहत ग्राम मनफरा से ग्राम ढंढारिया जाने का रास्ता मौके पर प्रचलन में नही होने व राजस्व रिकॉर्ड में कटानी दर्ज नही होने के तथ्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। उक्त विवादित रास्ते के सम्बन्ध में अन्य खातेदारान आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नही बनाया गया है। इस कारण पक्षकारों के असयोजन के कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य रहा है हाल खसरा नं. 746 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के परिवारजन का ही है जिससे E से Fरास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खेत में जाने को बताया गया है जो सरासर गलत है मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा नं0 748 में आने–जाने का रास्ता कदिनी रूप से खसरा नं0 746 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से गुजरने वाला रास्ते G से Hसे रहा है जिसकी तायद पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अक्षरशः हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत में आने–जाने का रास्ता होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अनुचित रूप से फायदा पहुचाने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आदेश जैर बहस पारित किया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिड़ावा का आदेश दिनांक 30.06.2020 को अपास्त किया जावे।

वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया किअदालत मातहत ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने से वंचित रखा है। अपीलान्ट अमरचन्द को कभी कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ। अदालत मातहत के समक्ष प्रकरण में रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश हुई जिसमे खसरा नं0 721 व 722 में रास्ता A से Bडोटेड ग्राम बजावा सुरोका को जाना बताया जाकर मौके पर रास्ता प्रचलन में होने व चालू होना बताया गया है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में भी उक्त खसरा नं0 721 व 722 से एक रास्ता C – Dक्रोस करना बताया गया है जो मौके पर चालू नही होने की रिपोर्ट पेश हुई है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रकरण में पेश हुई है उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (प्रार्थी) के खेत में आने–जाने का रास्ता खसरा नं. 748 के दक्षिण में ग्राम बजावा सुरोका में जाना बताया गया है जिसका नक्शे मेG – Hसे दर्शाया गया है तथा उक्त रास्ते से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 (प्रार्थी) का आवागमन होना बताया गया है तथा उक्त पटवारी हल्का रिपोर्ट में भी उपरोक्त सभी रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते नही होने व डोटेड दर्ज होने की रिपोर्ट पेश हुई है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट सख्या 1 (प्रार्थी) के आने–जाने का रास्ता मौजूद होने के बावजूद गलत रूप से आदेश जैर बहस पारित कर रास्ता खुलवाने का आदेश दिया गया है।

अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण का धारा 251 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत दर्ज करने में कानूनी गलती की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को देखने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में धारा 251 आर0टी0एक्ट 1955 के प्रावधान लागू नही होते। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हवासिंह का तथाकथित रास्ते में व्यक्तिगत सुखाधिकार नही है। वैकल्पिक रास्ता होना पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होता है विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि सार्वजनिक रास्ते के लिए धारा 251 आर.टी.एक्ट 1955 में कोई प्रावधान नही है तथा यह भी स्पष्ट है कि सुविधा के लिए नया रास्ता देने का कोई प्रावधान नही है। सार्वजनिक रास्ता को चालू करवाने का क्षेत्राधिकार धारा 251 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत तहसीलदार को नही होता है। तहसीलदार को प्रचलित रास्ते व कटानी रास्ते व रास्ते के सुखाधिकार के तहत रास्ता खुलवाया जाने का क्षेत्राधिकार है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलाधीन आदेश के तहत ग्राम मनफरा से ग्राम ढंढारिया जाने का रास्ता मौके पर प्रचलन में नही होने व राजस्व रिकॉर्ड में कटानी दर्ज नही होने के तथ्य अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत होने के बावजूद अदालत मातहत द्वारा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। उक्त विवादित रास्ते के सम्बन्ध में अन्य खातेदारान आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नही बनाया गया है। हाल खसरा नं. 746 रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के परिवारजन का ही है जिससे E से Fरास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वयं के खेत में जाने को बताया गया है जो सरासर गलत है मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा नं0 748 में आने–जाने का रास्ता कदिनी रूप से खसरा नं0 746 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से गुजरने वाला रास्ते G से Hसे रहा है जिसकी तायद पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अक्षरशः हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत में आने–जाने का रास्ता होने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अनुचित रूप से फायदा पहुंचाने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर आदेश पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट ने यह भी बताया कि अपीलान्ट अदालत मातहत मे उपस्थित नही था उसकी अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी नही थी। मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 तक लगातार लॉकडाउन रहा है। अतः उसकी अपील अन्दर मियाद मानते हुए उसे मियाद के लिए छूट प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्टस मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा का आदेश दिनांक 30.06.2020 को अपास्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत् है। अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है। मियाद के बिन्दू पर ही अपीलान्ट की अपील खारिज कर देनी चाहिए थी। वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी बताया कि अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की तामिल उसके पुत्र नवीन पर हुई है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि निर्णय की जानकारी उसे नही थी। अदालत मातहत मे अपीलान्ट जानबूझकर उपस्थित नही हुआ। निर्णय के बाद दिनांक 21.10.2020 को बनी फर्द मे अपीलान्ट स्वयं एवं उसका पुत्र कार्यवाही के दौरान मौजूद था इन्होने फर्द पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था एवं रास्ता खोलने से भी मना कर दिया था। अपीलान्ट द्वारा यह अपील 8 माह बाद पेश की गई है। अपीलान्ट ने मुझ रेस्पोडेन्ट सं0 1 का रास्ता तारबन्दी कर अवरूद्व कर रखा है। अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अहम तथ्य निम्नप्रकार है यथा :–

1. प्रकरण रेस्पोडेन्ट का तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश दिनांक 30.06.2020 के अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील 29.06.2021 को प्रस्तुत की है जो मियाद से बाहर है। अपीलान्ट के पुत्र द्वारा अदालत मातहत के यहां उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत कर पैरवी की गई है। इस संबंध में अपीलान्ट का तर्क यह रहा है कि उक्त आदेश दिनांक 30.06.2020 की पालना नहीं हुई जब मौके पर पटवारी हल्का व गिरदावर माह मई में आदेश की पालना हेतु आये तब अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई है तथा जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। हम यहां रेस्पोडेन्ट के तर्को से सहमत है कि अपीलान्ट को उक्त आदेश

A44

दिनांक 30.06.2020 की जानकारी रही है परन्तु प्रकरण में दोनों पक्षों की पुर्ण सुनावाई की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की दृष्टि मे प्रकरण का निस्तारण उसकी तकनीकि त्रुटियों के बजाये उसके सभी पहलुओं को मध्यनजर रखकर किया जाना उचित होगा। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

2. प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ग्राम बजावा स्थित भूमि खसरा नम्बर 721 व 722 से गुजरने वाले रास्ते नजरी नक्शा अनुसार सी से डी को खोलने के आदेश दिये है। अपीलान्ट का तर्क यहा यह रहा है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हवासिहं के खेत खसरा नम्बर 748 तक जाने हेतु रास्ता ई से एफ बना हुआ है जो अपीलान्ट की खातेदारी भूमि से पहले रास्ते सी से डी पर मिलता है। रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है तथा अपीलान्ट के खेत में पहले से एक डोटेड रास्ता ए से बी बना हुआ है। रिपोर्ट भू अभिलेख दिनांक 09.02.2018 के अवलोकन से अपीलान्ट के तर्क सही मालूम होते है। जिससे हम सहमत है।

3. प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा खुलवाया गया रास्ता डोटेड रास्ता से जो काटन में दर्ज नहीं है। अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 721 व 722 में पहले से रास्ता ए से बी स्थित है तथा दुसरा रास्ता सी से डी खोला गया है, जिससे उसकी खातेदारी की भूमि का रकबा कम हुआ है। उक्त रास्ता खातेदारी भूमि स्थित है, जिसका खातेदार अपीलान्ट है। ऐसे में बिना खातेदार की सहमति से उसकी भूमि में डोटेड रास्ते का खुलवाना न्यायालय की दृष्टि में सही नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। अदालत मातहत द्वारा डोटेड रास्तो खुलवाने की बाबत आदेश पारित किया है, डोटेड रास्ते मौसमी रास्ते की श्रेणी में आता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 यदि कटान शुदा रास्ता कायम करवाना चाहता है तो वह सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) तहत वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर हम अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2020 खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति मय रिकार्ड मातहत के प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
15/12/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू